

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म0प्र0)

वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) क्य हेतु

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक...../चार-4-1/2016

बैतूल, दिनांक /10/2017

वित्त वर्ष 2017-18 के लिये न्यायिक जिला स्थापना बैतूल के न्यायालयों के उपयोगार्थ वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) क्य किया जाना है, अतः इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनी से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, अतः समाचार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के भीतर शाम 05.00 बजे तक सामग्री की कीमत/ब्रांड/रेटिंग/क्षमता एवं आवश्यकतानुसार वेट की राशि सहित जानकारी बंद लिफाफे में निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल के पते पर अथवा इस कार्यालय की वेबसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर भेजने की व्यवस्था करें। ध्यान रहे निर्धारित समय सीमा में निविदाएं प्राप्त न होने पर विचार में नहीं ली जावेंगी। निविदा की शर्तें कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

४६११  
११.१०.१७  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बैतूल (म.प्र.)

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म0प्र0)**  
**वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) क्य हेतु**

**निविदा शर्त :-**

वर्ष 2017–18 में वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) क्य हेतु सील बंद निविदायें निम्न शर्तों के अधीन आंसंत्रित की जाती हैं, जो इस कार्यालय में समाचार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के भीतर शाम 5.00 बजे तक पहुंच जाये।

1. सील बंद निविदायें जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के कार्यालय में सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये ।
2. बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) प्रदाय हेतु निविदा लिखा होना चाहिये ।
3. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. आदेशानुसार सामग्री जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष तक पहुंचाने का समस्त उत्तर दायित्व निविदाकार का होंगा ।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल को यह अधिकार होगा कि, वे बिना कोई कारण बताये निविदाओं को किसी भी समय निरस्त कर सकते हैं ।
6. निविदा में सामग्री किस कम्पनी द्वारा निर्मित है, सामग्री की कीमत / ब्रांड / रेटिंग / क्षमता साईज, उसपर देय वेट टैक्स आदि, अंकित करना अनिवार्य है ।
7. निविदाकार उनके द्वारा प्रदाय की जाने सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होंगा ।
8. प्रदाय की गई सामग्री कम्पनी पैक ना होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की पाये जाने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कम्पनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी ।
9. सामग्री की मंशा / आदेश प्राप्त होने पर सामग्री तुरन्त प्रदाय करनी होगी ।
10. निविदायें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समाचार प्रकाशन के दिनांक से 21 वे दिवस के समय शाम 5.00 बजे तक है, इसके पश्चात प्राप्त निविदाये मान्य नहीं की जावेंगी ।

11. निविदा की दरे दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगी ।
12. निविदाकार, वाणिज्यिक विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है, उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें ।
13. वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) निर्माता कंपनी की सूची के अनुसार निर्माता कम्पनियों के नाम अंकित है, केवल उन्हीं कम्पनियों के सामग्री की दर देवे । अन्यथा मान्य नहीं होगी ।
14. किसी भी शर्त के भंग होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा ।
15. शासन द्वारा वेट टैक्स अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा ।
16. वातानुकूलित संयंत्र (AIR CONDITIONERS) की दरे समस्त करो सहित दी जायें ।

*(Signature)*  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बैतूल (म.प्र.)

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम एवं पता:-

.....  
.....  
.....